# कार्यालय कलेक्टर (खाद्य–शाखा) जिला मुरैना म.प्र.

क्रमांक 1477/खाद्य/निर्वा./2018 मुरैना दिनांक 06.10.2018

## –::निविदा सूचना::–

विधानसभा चुनाव 2018 मतगणना स्थल पर मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को चाय, नाश्ता (प्रातः एक कचौडी, पोहा, जलेबी 50ग्राम, चाय 150एम.एल. शांय को 04 विस्किट पारले जी, एव चाय 150एम.एल.) तथा भोजन में (06 पूडी 250ग्राम, चावल/पुलाव 100ग्राम, सब्जी मटर पनीर 75ग्राम, दाल तूअर फ्राइड 75ग्राम, मिठाई गुलाबजामुन 50ग्राम एक नग, अचार, सलाद और पानी बोतल एक नग 250 एम.एल.) प्रदाय किया जाना है। इस कार्य हेतु इच्छुक होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायियों से कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा जिला मुरैना में उपलब्ध निर्धारित निविदा फार्म राशि रूपये 500/– (लेखाशीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाऐं, 02–निर्वाचन, 800–अन्य प्राप्तियां )में जमा कर प्राप्त कर सकते है। निविदा फार्म पूर्ण कर दिनांक 10.10.2018 को शांय 03 बजे तक कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा जिला मुरैना में सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त निविदायें उसी दिनांक को शांय 05 बजे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मुरैना में खोली जावेंगी।

1. उक्त कार्य करने वाले इच्छुक होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायियों को दो मतगणना कार्य हेतु (विधानसभा/लोकसभा) में भोजन व्यवस्था का अनुभव होना चाहिये। संबंधित फर्म के पास वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन GST No. अनिवार्य रूप से होना चाहिये एवं खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग द्वारा जारी वैद्य अनुज्ञप्ति होना चाहिये।
2. भोजन का प्रदाय कार्डबोर्ड पैकिंग में सिल्वर फाइल में रेप कर डिस्पोजिवल कटोरी, चम्मच एवं पेपर नेपकिन के साथ प्रदाय करना होगा। खाना एवं सब्जी बनाने में प्रयोग किये जाने वाले मसाले, खाद्य तेल एवं आटा एगमार्क होना अनिवार्य है तथा सब्जी उत्तम गुणवक्ता की ताजा ही उपयोग की जा सकेगी उपरोक्तानुसार मीनू वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर परिवर्तनशील होगा।
3. निविदा के साथ निविदाकार को कलेक्टर मुरैना के नाम प्लेज राशि रूपये 50000/– (रू. पचास हजार मात्र)का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। किसी भी खाद्य बस्तु के उत्तम गुणवत्ता का न होने अथवा खराब होने पर/आदेश संख्या से कम प्रदाय करने पर धरोहर राशि/विल की राशि में से आंशिक अथवा सम्पूर्ण राशि की कटौती की जावेगी। कार्य में संलग्न कर्मचारी एवं वेटर गणवेश में रहेंगे एवं मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु उनके पास, जिला निर्वाचन शाखा से प्राप्त करने होंगे।
4. मतगणना स्थल पर प्रातः चाय, नाश्ता भोजन एवं शांय को चाय की संख्या की जानकारी एक सप्ताह पूर्व प्रदान की जावेगी। यदि किन्हीं कारणों से मतगणना स्थल पर रात्रि में भोजन एवं शाम को चाय की व्यवस्था करने की आवश्यकता

होती है। तो मतगणना दिनांक को दोपहर तीन वजे सूचित किया जावेगा एवं कार्य सम्पादित करने वाला व्यवसायी इस कार्य को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के लिये बाध्य होगा। मतगणना कार्य में संलग्न कर्मचारियों तक चाय, नाश्ता एवं भोजन प्रदाय कराने का दायित्व निविदाकार का होगा। भोजन एवं स्वल्पाहार की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुये सामग्री का निर्माण मतगणना स्थल के समीप ही किया जावेगा।

5. प्राप्त होने वाली निविदाओं को स्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी मुरैना का निर्णय अंतिम होगा। उनके निर्णय के विरूद्व किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा।

05/10/18
(भरत यादव)
कलेक्टर, एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला मुरैना

पृ.क्रमांक/1477/सामा.निर्वा/2018 मुरैना, दिनांक 06-10-2018

प्रतिलिपि–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, जनसंपर्क, भवन बाणगंगा रोड भोपाल समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
4. समस्त कलेक्टर जिला.................... ...........की ओर सूचनार्थ।
5. उप संचालक, सूचना प्रकाशन विभाग मुरैना की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला मुरैना की ओर वेबसाइट से प्रकाशनार्थ।

05/10/18
कलेक्टर, एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला मुरैना।